उत्तर प्रदेश शासन
उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2
संख्या : 7/2017/सीपी 9/84-2-2017-सीपी-9/2015
लखनऊ : दिनांक : 20 जनवरी, 2017

कार्यालय ज्ञाप

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-14/2016/सीपी-683/84-2-15-सीपी-9/15 दिनांक 13 जून, 2016 द्वारा श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री राम किशोर सिंह, जिला जज (सेवानिवृत्त), 1405, थौली गिरी टावर, कौशाम्बी, गाजियाबाद की नियुक्ति जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ़ में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर की गयी थी।

2. उक्त अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में श्री विजय प्रताप सिंह को निर्देशित किया गया था कि पत्र प्राप्ति के 15 दिवसों के अन्दर राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ से कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त कर संबंधित जिला उपभोक्ता फोरम में कार्यभार ग्रहण करें।

3. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3766/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 25/16 दिनांक 08 सितम्बर, 2016 में प्राप्त सूचना के अनुसार श्री विजय प्रताप सिंह द्वारा जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ़ में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है जबकि निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिोष आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ने अपने पत्रांक 1329/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 25/16 दिनांक 24 जून, 2016 एवं पत्रांक 1803/एस0सी0डी0आर0सी0/अधि0 25/16 दिनांक 19 जुलाई, 2016 द्वारा श्री विजय प्रताप सिंह को निर्देशित किया गया था कि अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में की गयी अपेक्षा अनुसार निर्धारित अवधि में जिला फोरम, आजमगढ़ में कार्यभार ग्रहण किए जाने हेतु अनुमति पत्र प्राप्त किए जाने के सम्बन्ध में आयोग में उपस्थित होने का कष्ट करें। इस निर्देश के बावजूद श्री विजय प्रताप सिंह द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया। परिणामस्वरूप निबंधक, राज्य आयोग ने श्री विजय प्रताप सिंह की नियुक्ति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

4. अत: शासन के पत्र संख्या: सीपी 569/84-2-2016-सीपी-9/2015 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 द्वारा श्री विजय प्रताप सिंह को इस आशय का कारण बताओ नोटिस दिया गया कि शासन की अधिसूचना दिनांक 13 जून, 2016 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अभी तक जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अत: क्यों न जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ में की गयी नियुक्ति को निरस्त कर दिया जाय। यह कारण बताओ नोटिस श्री विजय प्रताप सिंह को रजिस्टर्ड डाक से भेजी गयी परन्तु उनका अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इससे स्पष्ट है कि श्री विजय प्रताप सिंह को कुछ नहीं कहना है तथा वे जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ़ में अध्यक्ष के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।

.....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. अत: श्री राज्यपाल एतदद्वारा निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश के अनुरोध के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ़ में अध्यक्ष (पूर्णकालिक) के पद पर श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री राम किशोर सिंह, जिला जज (सेवानिवृत्त), 1405, थौली गिरी टावर, कौशाम्बी, गाजियाबाद की नियुक्ति को निरस्त किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

कुमार अरविन्द सिंह देव
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तर प्रदेश, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमतीनगर, लखनऊ ।
2. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
3. कोषाधिकारी, आजमगढ़।
4. कार्यालय जिला उपभोक्ता फोरम, आजमगढ (द्वारा निबंधक, राज्य आयोग) ।
5. श्री विजय प्रताप सिंह पुत्र स्व0 श्री राम किशोर सिंह, जिला जज (सेवानिवृत्त), 1405, थौली गिरी टावर, कौशाम्बी, गाजियाबाद ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

प्रेम शंकर राय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।